SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION
स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)
(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta
Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla
National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma
National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal
State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH)
Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia
Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav
Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Jitendra
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/11/SFCF/135 **Date:-05.12.2025**

Regd Post / By hand
0 8 DEC 2025

सेवा में,

01 – कुलाधिपति महोदया, (चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ)
द्वारा अपर मुख्य सचिव,
राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय, लखनऊ।

02 – प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।

विषय :– चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ के द्वारा प्रबंध समिति चुनाव में विधि विरुद्ध केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रशासन योजना लागू किये जाने एवं उससे होने वाले न्यायिक विवादों के कारण इसको समाप्त किये जाने के संदर्भ में अनुस्मारक।

महोदय / महोदया,

आप कृपया फेडरेशन के पत्र दिनाँक 17.10.2025 का सादर संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। आप जैसा की अवगत होंगे ही की उल्लेखित पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था की **चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ में केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में विधि विरुद्ध प्रबंध समिति चुनावो में प्रशासन योजना का लागू किया जाना उनमे न्यायिक विवादों को जन्म देने वाला है और इस प्रकार की प्रशासन योजना (पीली किताब) वैधानिक रूप से उचित नहीं है।** इस संदर्भ में फेडरेशन ने अपने पत्र दिनाँक 03.10.2025, 16.10.2025 एवं 17.10.2025 के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ की कुलपति एवं कुलसचिव से भी अपील की थी लेकिन विवि0 स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और पत्र आज तददिनांक तक अनुत्तरित है, तत्पश्चात आपको पत्र दिनाँक 17.10.2025 के द्वारा अवगत कराया गया जो भी अभी तक अनुत्तरित है। केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में विधि विरुद्ध लागू इस प्रशासन योजना (पीली किताब) को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है।

इस विषय में आप अवगत होंगे ही उत्तर प्रदेश शासन ने 13 दिसम्बर 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए इंटरमीडिएट संस्थानों में लागू प्रशासन योजना को समाप्त करते हुए संस्थानों के संचालन के लिए अधिकृत सोसाइटी एवं ट्रस्ट की साधारण सभा से ही विद्यालयों के संचालन के आदेश दिए है। उक्त अधिसूचना के माध्यम से शासन का भी स्पष्ट मत है की इस प्रकर की प्रशासन योजना और उससे होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव विवादों को जन्म देते है और संस्थानों के कुशल संचालन में बाधा उत्पन्न करते है।

SFCF SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

Scanned with OKEN Scanner

चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ द्वारा केवल स्ववित्तपोषत संस्थानों में लागू इस प्रकार की प्रशासन योजना (पीली किताब) को कार्यपरिषद से अनुमोदित कराकर लागू करना एक तरफ जहाँ प्रदत शक्तियों का दुरूपयोग है वही सोसाइटी अधिनियम और ट्रस्ट अधिनियम दोनों का उलंघन है। विवि0 के पास इस प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है की वह सोसाइटी अधिनियम और ट्रस्ट अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के प्रतिकूल जाकर साधारण सभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित कर सके जो की वह प्रशासन योजना (पीली किताब) के माध्यम से कर रहा है। सोसाइटी अधिनियम और ट्रस्ट अधिनियम में क्रमशः 07 और 02 सदस्यों की साधारण सभा बनाकर संस्था का संचालन किया जा सकता है लेकिन विवि0 की प्रशासन योजना (पीली किताब) के अनुसार साधारण सभा में कम से कम 31 सदस्यों की बाध्यता वो भी केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए साफ दर्शाती है की विवि0 किस प्रकार से एकतरफा निर्णय लागू करते हुए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर निजी संस्थानों का शोषण करता आ रहा है। विवि0 प्रबंध समिति चुनाव में पर्यवेक्षक की नियुक्ति करता है जिसका TA-DA स्वयं निजी संस्थान वहन करता है जिससे पर्यवेक्षक को लाभ होता है, विवि0 अपने निकटतम प्रोफेसर को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता है जिससे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ पर्यवेक्षक के रूप में उस प्रोफेसर को प्राप्त होते है।

अतः समस्त प्रकरण के दृष्टिगत यह आवश्यक है की इस प्रकार की विवादित प्रशासन योजना (पीली किताब) ना तो विधि सम्मत है और ना ही लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अनुकूल है। समस्त पत्रों की प्रति सलग्न करते हुए आपसे पुनः अनुरोध है की कृपया इस प्रशासन योजना को समाप्त करते हुए सोसाइटी अधिनियम और ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार गठित साधारण सभा से संस्थानों के संचालन के आदेश निर्गत कराने की कृपा करे। आपके द्वारा न्याय नहीं मिलने की दशा में फेडरेशन के पास माननीय उच्च न्यायालय में न्याय की याचना किये जाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं होगा।

आदर सहित।

सलग्नक – पत्र दिनाँक 17.10.2025, 03.10.2025, एवं 16.10.2025
विवि का IGRS पोर्टल से प्राप्त जवाब दिनाँक 07.11.2025

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SFCF
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

प्रतिलिपि :–

1 – कुलपति, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

2 – कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

0 8 DEC 2025

05-12-25

(नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	वरिष्ठ महासचिव

भारतीय डाक
10-12-2025 12:46:27, Counter No. 1,
To: PRAMUKH SACHIV
UCH SHIKSHA VIBHAG, LUCKNOW, 226001
From: ADHIYAKSH
SELF FINANCE COLLE, BULANDSH, 203205
Base Amt: 63.00
Wt: 60 (Actual)
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक
Sikandrabad SO Bulandshahr 203205
EU179003327IN, IVR No: 699
10-12-2025 12:47:18, Counter No. 1
To: KULADHIPATI MOHDAYE
RAJYAL SACHIVALAYE, LUCKNOW, 226001
From: ADHIYAKSH
SELF FINANCE COLLE, BULANDSH, 203205
Base Amt: 63.00
Wt: 60 (Actual)
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

SFCF (Regd.)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH.)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Jitanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/11/SFCF/132

Date:-17.11.2025

Regd. Post/By Hand

सेवा में,

1— कुलाधिपति चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ
द्वारा अपर मुख्य सचिव राजभवन लखनऊ।

2— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ

विषय :— चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ में प्रबंध समिति चुनाव में स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए प्रशासन योजना (पीली किताब) नियम विरुद्ध लागू किये जाने एवं इसको समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप कृपया सादर अवगत हो की उपरोक्त विषयक में उल्लेखित चौधरी चरण सिंह विवि0 में केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के प्रबंध समिति चुनाव में प्रशासन योजना (पीली किताब) को नियम विरुद्ध लागू किया गया है जिसका प्रख्यापन ना तो कभी शासन के माध्यम से हुआ है और ना ही कोई शासनादेश एवं विवि0 अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है। इस संबंध में चौधरी चरण सिंह विवि0 को फेडरेशन ने अपने पत्र दिनाँक 03.10.2025 एवं अनुस्मारक दिनाँक 16.10.2025 के माध्यम से अवगत कराते हुए केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में की गयी इस नियम विरुद्ध व्यवस्था को समाप्त करने का अनुरोध किया है जो की आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण लंबित है। उल्लेखित पत्रों की प्राप्तियाँ आपके सुलभ सन्दर्भ के लिए सलग्न है।

प्रशासन योजना (पीली किताब) में जिस तरह की व्यवस्था है वो स्ववित्तपोषित संस्थानों में विवादों को जन्म देने वाली है और विवि0 अधिनियम इस प्रकार की किसी व्यवस्था को ना तो प्रतिपादित करता है और ना ही यह न्यायसंगत है साथ ही यह एकपक्षीय है जो की पूर्णरूप से स्ववित्तपोषित संस्थानों के अधिकार पर अतिक्रमण करने की व्यवस्था है। <u>सोसाइटी अधिनियम एवं ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार क्रमश 07 और 02 सदस्यों के साथ कोई भी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट का संचालन किया जा सकता है लेकिन प्रशासन योजना (पीली किताब) के माध्यम से विवि0 की यह व्यवस्था की किसी भी स्ववित्तपोषित संस्थान की सोसाइटी अथवा ट्रस्ट में न्यूनतम 31 सदस्य होंगे नियम विरुद्ध और अपनी प्रदत शक्तियों का दुरूपयोग है।</u>

17.11.25

Scanned with OKEN Scanner

चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ का दोहरा मापदंड यह है की यह व्यवस्था केवल पूर्णतया स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए है जबकि ऐसे संस्थान जो सहायता प्राप्त है और उनमे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है उनमे इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है उन्हें पूर्णतया सहायता प्राप्त की भांति ही विवि द्वारा उपचार प्रदान किया जा रहा है जो की दर्शाता है की विवि0 दोहरे मापदंडो के आधार पर स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए अधिनियमों में वर्णित व्यवस्था के विपरीत जाकर नियम सृजित कर रहा है और इससे एक तरफ जहा संस्थानों में विवाद बढे है वही संस्थानों के शोषण का भी यह माध्यम बना है।

<u>विवि0 से जनसुनवाई प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जवाब 07.11.2025 में स्पष्ट कहा गया है की उक्त प्रशासन योजना (पीली किताब) विवि0 की कार्यपरिषद से अनुमोदित है और विवि0 स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। विवि0 की कार्यपरिषद को इस प्रकार से कोई अधिकार विवि0 अधिनियम में प्रदान नहीं किये गए है जो की इस प्रकार से सोसाइटी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम एवं विवि0 अधिनियम का अतिक्रमण करते हुए प्रशासन योजना (पीली किताब) को केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू करे। यह स्पष्ट दर्शाता है की विवि0 की कार्यपरिषद ने भी इस प्रकरण में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है और प्रदत शक्तियों का दुरूपयोग किया है।</u>

श्रीमान जी, विवि0 द्वारा लागू प्रशासन योजना (पीली किताब) पूर्णतया सोसाइटी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम एवं विवि0 अधिनियम में वर्णित व्यवस्था एवं शक्तियों का उल्लंघन है और कार्यपरिषद को इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं है की वो इस प्रकार की प्रशासन योजना को केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में संस्थानों पर लागू करे। <u>आपसे अनुरोध है की कृपया विधि व्यवस्था और साक्ष्यों आलोक में न्याय की द्रष्टि से इस प्रशासन योजना (पीली किताब) को निरस्त करने की कृपा करे। इसके अतिरिक्त यह भी विनम्रता से अवगत कराना है की इस प्रकरण पर न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने की दशा में "फेडरेशन" माननीय उच्च न्यायालय में जाने के लिए विवश होगी।</u>

आदर सहित

सलग्नक – यथोक्त

प्रतिलिपि :–

1 – कुलपति, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ

2 – कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ

(नितिन यादव)
अध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
वरिष्ठ महासचिव

Scanned with OKEN Scanner